BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 492 OF 2022

IN THE MATTER OF:

GREEN WOOD CITY VILLA JAN WELFARE SOCIETY & ANR.

...APPLICANTS

VERSUS

GODWIN CONSTRUCTION COMPANY PVT. LTD. & ORS.

...RESPONDENTS

I N D E X

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NOS.
1.	Action taken report on behalf of the Respondent No. 02- Meerut Development Authority along with affidavit	1-8
2.	**ANNEXURE-R-2/1** A true copy of inspection report	9
3.	**ANNEXURE-R-2/2** A true copy of relevant clause required for obtaining the Completion Certificate along with aforesaid prescribed format	10-14

NEW DELHI
Date: 13.04.2023

Through

[RACHIT MITTAL]
Counsel for Respondent No. 02
RM Law Chambers
MZ-24 & 25, Ansal Fortune Arcade,
Sector 18, Noida- 201 301
Uttar Pradesh
Mob.: +91 9873997047
Email: office@rmlawchambers.in

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 492 OF 2022

IN THE MATTER OF:

GREEN WOOD CITY VILLA JAN WELFARE SOCIETY & ANR.

...APPLICANTS

VERSUS

GODWIN CONSTRUCTION COMPANY PVT. LTD. & ORS.

...RESPONDENTS

ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.2- MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That this application has been filed by the Applicant under section 14 and 15 of the National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred as "NGT Act") seeking various reliefs.
2. That the Respondent no. 2 filed its reply to aforesaid application before this Hon'ble Tribunal on 06.01.2022.
3. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 09.02.2023 was pleased to pass the following order:

> *"12. Respondent No. 2-MDA, being an instrumentality of the State, cannot take the excuse of non-payment of external development charges for non-issuance of completion certificate for indefinite period and is, therefore, directed to take appropriate steps for completing the process of issuing of completion certificate for protecting rights of the residents of the colony, without prejudice to availing of its*

legal remedies for recovery of external development charges from the respondent no. 1-the Project Proponent. Since, Respondent no. 5-MNN is under statutory obligation to ensure proper collection, processing and disposal of solid waste and sewage, Respondent No. 5 is also directed to take requisite steps to take over the colony in question subject to availing of appropriate legal remedies against the Project Proponent.

13. Additional reply by Respondent No. 1-the Project Proponent, Action Taken Report by Respondent No. 2-MDA and Respondent No. 5-MNN and reply/response by Respondent No. 6-District Magistrate, Meerut be filed within six weeks by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF."

4. That pursuant to the aforesaid order, a committee comprising of Chief Town Planner, Executive Engineer and Town Planner was constituted by Vice Chairman of the Respondent No.2, as per the prevailing procedure of the Authority for conducting spot inspection of the site in order to ascertain as to whether the completion certificate can be granted as per the bye laws of the Authority.

5. It is clarified that the project proponent i.e. Godwin Construction Company Private Limited has till date not applied for grant of completion certificate, but the committee was constituted in view of the order dated 09.02.2023 and spot inspection was carried out in order to ascertain the status of internal development of the project, which is the integral part for granting the completion certificate.

6. The committee visited the site on 01.04.2023 and submitted an inspection report to the Vice Chairman with the recommendation that granting of completion certificate in view of the deficiencies at the site in terms of the approved layout would be in contravention to the bye laws of the Authority. The observations of the committee as per the inspection report are as under:

   a. The construction of roads at the site has been completed, however, at the time of inspection by the Committee members it was found that, some roads were in a dilapidated condition and some were found to be partially constructed.

   b. It is found that, construction of only few drains in front of Villa Houses has been carried out and since, construction of maximum number of drains is still pending, it has led to issue of water logging at the site.

   c. Further, after the construction of internal sewer line, sump well and pumping station, the same was found to be connected with the sewer line constructed by the Authority.

      At the request of Green wood city, the sewer of the colony was connected to the manhole of the Vedvyaspuri trunk sewer line constructed by the Meerut Development Authority by laying pipeline of 200 mm dia. near the Green wood city. It was informed by the residents that the said sewer line got damaged due to expansion of NH 58 and construction of flyover. The inspection of the same was also carried out and the sewer line was found to be damaged, due to which the disposal of sewage

4

of Greenwood colony was not found in trunk sewer line of Vedvyaspuri. For sewer disposal line, again an estimate of Rs. 36,27,118/- has been prepared, which is under tendering process. After tender, the disposal of sewer would be done in the said trunk line.

Here it is to be clarified that the disposal of the sewer of Godwin Colony depends on the condition that the disposal of the sewer in sump well is through internal sewer line as per the design of the sewerage system.

d. As per the layout plan, out of the 8 parks, the work of development of 3 parks is remaining.

e. The arrangements for solid waste management have been done.

f. The street lights have been installed.

g. The work for the planting of trees has been completed.

h. The balance amount which was required to be deposited by the developer on account of External Development Charges has not been deposited in the treasury of the Authority despite the orders of the Hon'ble High Court.

i. The Baghpat Road has been joined with the internal road of the Colony, however, as per the sanctioned layout plan, 18.00 meters wide road was required to be constructed but only 9.00 meters wide road is found to be existing.

A true copy of inspection report is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-2/1.**

5

7. It is pertinent to mention here that in case the completion certificate is issued on the basis of the present situation, then the Authority would not be able to bind the developer for completion of the development works in future, which would affect the residents of the society. It would be proper and in the interest of the residents as well as the Authority that the developer first completes the pending works and only then the completion certificate is issued.

8. It is pertinent to mention here that the procedure to apply and obtain completion certificate is enumerated under Section 15-A of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973. For kind perusal of this Hon'ble Tribunal, Section 15-A of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 is reproduced hereunder:

> *"15-A. Completion Certificate. – (1) Every person or body having been granted permission under sub-section (3) of Section 15, shall complete the developments according to the approved plan and send a notice in writing of such completion to the Authority, and obtain a completion certificate from the Authority in the manner prescribed or provided in the Bye-Laws of the Authority:*
>
> *Provided that if completion certificate is not granted and refusal to grant it is not intimated within three months after receipt of the notice of completion, it shall be deemed that the completion certificate has been granted by the Authority.*
>
> ... "

6

9. That further it is pertinent to mention herein that, as per clause 2.1.8 of the Building Bye-Laws 2008 specifically enshrines the provision as to what procedure is required to be adopted in order to get the completion certificate issued.

A true copy of relevant clause required for obtaining the Completion Certificate along with aforesaid prescribed format is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-2/2 (Colly).**

10. It is submitted that the Respondent has always been vigilant in fulfilling its responsibilities with due care and consciousness at all times and has also been complying with the orders passed by this Hon'ble Tribunal from time to time.

11. Therefore, it is submitted that, in view of aforesaid incomplete work and shortcomings, the completion certificate cannot be issued by the Respondent no.2 as same is in violation of Act and Building Bye Laws.

Respondent No. 02
Meerut Development Authority

NEW DELHI
Date: 13/04/23

Through

[RACHIT MITTAL]
Counsel for Respondent No. 02
RM Law Chambers
MZ-24 & 25, Ansal Fortune Arcade,
Sector 18, Noida- 201 301
Uttar Pradesh
Mob.: +91 9873997047
Email: office@rmlawchambers.in

7

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 492 OF 2022

IN THE MATTER OF:

GREEN WOOD CITY VILLA JAN WELFARE SOCIETY & ANR.

...APPLICANTS

VERSUS

GODWIN CONSTRUCTION COMPANY PVT. LTD. & ORS.

...RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Vijay Singh S/o Shri Kharag Singh, aged about 50 years working as Town Planner, Meerut Development Authority, Meerut, U.P., presently at Noida do hereby solemnly affirm and state as under:-

1. That I, in the aforesaid capacity is well conversant with the facts and circumstances of the case derived on information from the record. Hence, I am competent to swear this affidavit.
2. I have read and understood the contents of accompanying action taken report. I state that the facts stated therein are true to my knowledge derived from the official record. The legal submissions are based on legal advice received and believed to be true.

NOTARY YOGENDRA SINGH Area NOIDA G.B. Nagar Regn. No. 5577106 GOVT. OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION

I, the above-named deponent do, hereby verify that the contents of this affidavit from paragraph 1 to 2 are true to my knowledge derived from official record. Nothing material has been suppressed. So, help me God.

Verified on this 13th day of April, 2023 at Noida.

DEPONENT

NOTARY
YOGENDRA SINGH
Area NOIDA
G.B. Nagar
Regn. No.
GOVT. OF INDIA

ATTESTED

YOGENDRA SINGH
NOTARY NOIDA
G.B. Nagar (U.P.) INDIA

13 APR 2023

ANNEXURE- R-2/1

9

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : दिनांक :

निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 01.04.2023 को समिति द्वारा ग्रीनवुड सिटी में विकासकर्ता द्वारा कराये गये आन्तरिक विकास कार्यों की आख्या निम्नवत है:-

1. स्थल पर सडको का निर्माण कर दिया गया है लेकिन निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ सडके क्षतिग्रस्त है एवं कुछ भाग पर सड़के अर्धनिर्मित हैं।
2. स्थल पर नालियों का निर्माण केवल विला भवनों के सामने कहीं-कहीं किया गया है, परिसर के अधिकतम भाग पर नाली एवं नालों का निर्माण कर निस्तारण सुनिश्चित न किये जाने के कारण वाटर लागिंग की समस्या बनी हुयी है।
3. ग्रीनवुड सिटी परिसर की आन्तरिक सीवर लाईन, सम्पवैल एवं पम्पिग स्टेशन का निर्माण कर प्राधिकरण द्वारा निर्मित सीवर लाईन में जोड़ने का कार्य विकासकर्ता द्वारा कराया गया है।
   ग्रीनवुड सिटी के अनुरोध पर सीवर निस्तारण हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा वाह्य विकास निधि के अन्तर्गत ग्रीनवुड सिटी के समीप से 200 एम.एम. डाया के (C.I D/F) पाइप लाईन बिछाकर वेदव्यासपुरी की ट्रंक सीवर की मेनहोल में जोड़ा गया था जोकि एन0एन0-58 के विस्तारीकरण एवं फ्लाई ओवर के निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाने के सम्बन्ध में वहां के निवासियों द्वारा बताया गया, जिसकी स्थलीय जांच की गयी, सीवर लाईन क्षतिग्रस्त पाई गयी। जिसके कारण ग्रीनवुड कालोनी के सीवर का निस्तारण वेदव्यासपुरी के ट्रंक सीवर लाईन में होता नहीं पाया गया, सीवर निस्तारण हेतु पुनः एक आगणन धनांक रू0 36,27,118.00 का तैयार किया गया है, जोकि निविदा की प्रक्रिया में है। निविदा उपरान्त शीघ्र सीवर का निस्तारण करा दिया जायेगा।
   यहां यह भी स्पष्ट करना है कि गॉडविन कालोनी की सीवर का निस्तारण इस बात पर निर्भर करता है कि सीवरेज सिस्टम की डिजाईन के अनुसार कालोनी में निर्मित सम्पवैल में समस्त इन्टरनल सीवर लाईन का निस्तारण सूचारू रूप से हो रहा हो।
4. ले-आउट में दर्शाये गये 08 पार्को में से 03 पार्कों का विकास कार्य अवशेष है।
5. सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु व्यवस्था कर दी गयी है।
6. स्ट्रीट लाईट लगा दी गयी है।
7. वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
8. वाहय विकास शुल्क के मद में अवशेष धनराशि की वसूली हेतु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के उपरान्त भी यह धनराशि अभी तक प्राधिकरण कोष में जमा नही करायी गयी है।
9. बागपत रोड को कालोनी के आन्तरिक रोड से जोड दिया गया है। लेकिन स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार स्थल पर 18.00 मी0 सडक की चौडाई के स्थान पर लगभग 9.00 मी0 चौडी सडक विद्यमान है।

स्थल पर टूटी-फूटी एवं कुछ भाग में अर्धनिर्मित सडकें विद्यमान होने, 03 पार्कों का विकास कार्य नहीं किये जाने तथा नाली का निर्माण न कराये जाने, निर्धारित क्षमता के पम्प स्थापित नही किये जाने एवं बागपत रोड को स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार स्थल पर 18 मी0 चौडाई के स्थान पर 09 मी0 चौडी सडक विद्यमान होने कारण इस कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाना भवन उपविधियों में दिये गये प्राविधानों के विपरीत होगा।

निरीक्षण आख्या उपाध्यक्ष महोदय के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

नगर नियोजक | अधिशासी अभियन्ता | मुख्य नगर नियोजक

सचिव महोदय

3/4/23

ANNEXURE-R-2/2 10

अनुलग्नक–1

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–15ए धारा–15ए के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया

(उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8)

1. **वर्गीकरण**
   (I) "आवासीय भवन" हेतु "प्रपत्र –अ"
   टिप्पणीः 300 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर आवासीय भवन हेतु पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
   (II) "ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक एवं बहुखण्डीय भवनों" हेतु "प्रपत्र–ब"।
   (III) आवासीय भवन, ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक एवं बहुखण्डीय भवनों के अतिरिक्त सभी प्रकार के भवनों हेतु "प्रपत्र–स"
   (IV) "ले–आउट प्लान" हेतु "प्रपत्र–द"।
2. **अभिलेखों का जमा किया जाना** — प्राधिकरण अनुज्ञापित व्यक्ति के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र पर पूर्णता मानचित्र की तीन प्रतियों तथा दो प्रतियों में निम्नलिखित अभिलेखों के साथ पूर्णता की नोटिस दी जाएगी :–
   (i) चार मंजिल से अधिक अथवा 15 मीटर एवं अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा–शैक्षिक, असेम्बली, संस्थागत, औद्योगिक, संग्रहण एवं संकटमय उपयोग वाले भवनों तथा उपर्युक्त उपयोगों के मिश्रित अधिवासों वाले भवनों, जिनका भू–आच्छादन 500 वर्गमीटर से अधिक हो, हेतु अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
   (ii) भूतल सहित तीन मंजिलों से अधिक ऊँचे भवनों की संरचनात्मक स्थिरता एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण–पत्र।
3. **परीक्षण एवं जॉच** — पूर्णता की नोटिस प्राप्त होने पर उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विभिन्न श्रेणी के भवनों हेतु समय–समय पर निर्धारित प्रकियानुसार "रेन्डम बेसिस" पर चयनित नोटिसों का परीक्षण किया जाएगा। किन्तु व्यवसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग के समस्त भवनों के नोटिसों की जॉच/परीक्षण किया जाएगा तथा प्राधिकरण द्वारा प्रतिशत निर्धारण एवं "रेन्डम सलेक्शन" की प्रकिया का निर्धारण होने तक व्यवसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग के अतिरिक्त अन्य भवनों का परीक्षण/जॉच नही की जाएगी।
4. **पूर्णता प्रमाण–पत्र** — अनुज्ञापित व्यक्ति/आर्किटेक्ट की रिपोर्ट अथवा जॉच के आधार पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार विकास कार्य पाए जाने पर उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा।
5. **पूर्णता प्रमाण–पत्र अस्वीकार करना** — जॉच/परीक्षण में स्वीकृत अथवा शमनित मानचित्र विकास कार्यों के अनुरूप विकास/निर्माण न पाए जाने की स्थिति में उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र की स्वीकृति को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उसके कारणों सहित आवेदक को आवेदन करने के 90 दिनों के भीतर सूचित कर दिया जाएगा, अन्यथा ऐसा नही करने पर प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण–पत्र स्वीकृत किया माना जाएगा।
6. **अस्वीकृति का पुनरीक्षण** — आवेदक द्वारा अस्वीकृति के कारणों से असंतुष्ट होने की स्थिति में अस्वीकृति की सूचना के दिनांक से 6 सप्ताह के भीतल उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण के आधार व कारणों सहित पुनरीक्षण हेतु आवेदन कर सकेगा।
7. **पूर्णता प्रमाण–पत्र हेतु पुनः आवेदन** — पूर्णता प्रमाण पत्र को अस्वीकार करने की दशा में अस्वीकृति के कारणों के समाधान करने के साथ पुनः नया आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।
8. **अपील** — अस्वीकृति के आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर प्रभावित व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष के समक्ष अपील की जा सकेगी जिस पर अपीलकर्ता एवं यदि आवश्यक हो तो उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देते हुए, अपील को निरस्त करने अथवा यथा आवश्यक संशोधन अथवा प्रतिबन्धों के साथ पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देशित कर सकते हैं।

अनुलग्नंक–2

विन्यास मानचित्र के पूर्णता प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन पत्र
(उपविधि संख्या–2..1.8)
मेरठ विकास प्राधिकरण

1. (I) आवेदक का नाम
   (II) वर्तमान पता
2. खसरा/भूखण्ड संख्या तथा
   योजना का नाम/मोहल्ला/ वार्ड
3. भूखण्ड का क्षेत्रफल(वर्ग मीटर में)
4. अनुमन्य भू–उपयोग
   (I) विन्यास मानचित्र स्वीकृति की तिथि
   (II) परमिट संख्या
   (III) यदि अनधिकृत विकास का शमन कराया गया हो तो शमन शुल्क जमा करने की रसीद संख्या व दिनांक का विवरण देते हुए शमन मानचित्र की प्रति संलग्न कर

5	भू–उपयोग का विवरण :						
क्रमांक	भू–उपयोग की श्रेणी	स्वीकृत मानचित्र के अनुसार		विकसित		विचलन	
		क्षेत्रफल (व.मी.)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (व.मी.)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (व.मी.)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
I	आवासीय						
II	वाणिजियक						
II	अन्य						
IV	पार्क एवं खुला स्थल						
V	सड़कें तथा गलियां						

6	सुविधाओं की स्थितिः–	1	2	3	4	5	6
क्रमांक	सुविधाएं	स्वीकृत मानचित्र में प्राविधान		पूर्णता प्रमाण पत्र में प्राविधान			
		संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	पूर्ण		अपूर्ण	
				संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)
I	प्राइमरी स्कूल						
II	हायर सेकेण्डरी स्कूल						
III	डिग्री कालेज						
IV	डिस्पेन्सरी						
V	अस्पताल						
VI	पोस्ट आफिस						

ऊ

12

VII	कम्युनिटी सेन्टर						
VIII	पुलिस स्टेशन						
IX	फायर स्टेशन						
X	टेलीफोन एक्सचेंज						
XI	वस स्टेशन						
XII	टैक्सी स्टैण्ड						
XIII	जन–सुविधाएं						
XIV	अन्य सुविधाएं						

7 निम्न विकास कार्य विन्यास मानचित्र पर अंकित करें:–

I सडके

II सड़क के किनारे वृक्षारोपण (आरवोरीकल्चर)

III पुलिया (कल्वर्ट)

IV मार्ग प्रकाश व्यवस्था

V पेयजल वितरण प्रणाली जिसमें स्लूइस–वाल्व, एयर वाल्व, फायर हाईड्रेन्ट दर्शाए गए हों तथा भूमिगत जल नलिकाओं का व्यास अंकित हो।

VI ओवर हैड टैंक व भूमिगत जलाशयों की स्थिति एवं उनकी क्षमता, पम्पों की संख्या एवं उनकी क्षमता।

VII सीवर प्रणाली जिसमें पाइप का व्यास, इन्वर्ट लेवल देते हुए मेन होल, गली पिट्स की स्थिति ।

VIII सीवेज, पम्पिंग स्टेशन की स्थिति, उसकी क्षमता तथा पम्पों की संख्या एवं क्षमता (यदि विकासकर्ता द्वारा उक्त विकास किया गया है)

IX वरसाती पानी के निकास की व्यवस्था।

X विद्युत आपूर्ति प्रणाली जिसमें ट्रान्सफार्मस तथा 11 के.वी.ए. सब–स्टेशन की स्थिति एवं ट्रान्सफार्मरस् की क्षमता अंकित हो।

XI सीवर का अन्तिम निस्तारण–विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/स्थानीय निकाय आदि की ट्रंक सीवर लाईन में जोड़ने का विवरण।

XII ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम।

8. शहर की अवस्थापना प्रणाली से संयोजन की स्थिति/व्यवस्था :

I सडके

II पानी की निकासी (ट्रंक नाले से जोड़ने की व्यवस्था)

III पेयजल की व्यवस्था (जल संस्थान/विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय आदि से संयोजन की व्यवस्था)

IV विद्युत व्यवस्था (33 केवी.ए./11 के.वी.ए. लाइन से संयोजन की स्थिति व ट्रांसफार्मर की स्थिति)

V सीवर/ट्रंक सीवर से संयोजन की स्थिति

9. विन्यास मानचित्र में आन्तरिक परिवर्तन

I उपविधि के अन्तर्गत है/नही है — हॉं/नही

II यदि उपविधियों के विपरीत है तो उसका शमन हो चुका है। — हॉं/नही

अथवा

पुनरीक्षित मानचित्र स्वीकृत है। — हॉं/नही
यदि हॉं तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)

13

10. विकास कार्यो के मानकों एवं विशिष्टियों के सम्बन्ध में सूचनाः
विन्यास मानचित्र के साथ स्वीकृत विकास कार्यो के मानक एवं विशिष्टियों में कोई विचलन नही हुआ है।

अथवा

विकास कार्यों के मानक एवं विशिष्टियों में विचलन है जिसका अनुमोदन सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया जा चुका है (प्रमाण पत्र संलग्न है) अब कोई ऐसा विचलन नही है जो सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत न हो।

आवेदक का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी क` अन ुसार सत्य है। विन्यास मानचित्र में भू–उपयोग वितरण प्राधिकरण द्वारा स्वीक ृत मानचित्र क` अन ुसार है। सभी स ुविधाएं एवं विकास कार्य अन ुबन्ध के अन ुसार हैं! अतः मुझे/हमें उपरोक्त वर्णित ले–आउट प्लान का प ूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाए।

संलग्न अभिलेखः
1
2
3

दिनांकः

आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर

नोटः उक्त सूचना केवल आवेदन के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही दी जाएगी। अधिकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।

पंजीकृत वास्तुविद्/नगर नियोजक का प्रमाण पत्र
(विन्यास मानचित्र हेतु)

मैंने श्री/श्रीमती . . . . (आवेदक का नाम) का. . . . . वार्ड स्थित क्षेत्र/योजना . . . . का निरीक्षण दिनांक . . . . . को किया तथा उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएं स्थल जांच के उपरान्त सही पाई गई हैं। इस संदर्भ में मेरी जॉच आख्या निम्नवत् है:–

विकास के सभी कार्य (प्राधिकरण का नाम). . . . . . . विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व निर्धारित एवं स्वीकृत मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप हैं।

अथवा

विकसित योजना, विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र/लागू उपविधियों के अनुरूप है। अथवा विकसित योजना में स्वीकृत विन्यास मानचित्र से विचलन है जो क्रमांक–9 पर अंकित कर दिया गया है तथा शमन योग्य विचलन का शमन कराया जा चुका है। उक्त स्थिति में पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः
पंजीकृत वास्तुविद्/नगर नियोजक
नाम/पता
लाइसेन्स संख्या
लाइसेन्स वैधता की अवधि

दिनांक

14

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र
(प्रार्थना पत्र के भाग–'अ', 'ब' एवं 'स' की फोटोकापी पर जारी किया जाए)

. . . . . वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या . . . . पर विकसित योजना के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री . . . . . (पदनाम) . . . दिनांक . . . को विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15 क (2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।

हस्ताक्षर . . . . . .
पदनाम . . . . . .
कार्यालय की मुहर
दिनांक . . . .